न्यायालय अपील अधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्याः GCMS No.-2024/560

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थीगण
1–महंत रघुनाथदास पुत्र राधिकादास उम्र 90 वर्ष जाति जाट निवासी नृसिंहदड़ा, जोधपुर		1–चेतन ज्याणी पुत्र मंहत रघुनाथदास 2–लक्ष्मी पत्नी चेतन ज्याणी जाति जाट निवासी नृसिंहदड़ा, जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 08.03.2023 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) द्वारा प्रकरण संख्या 46/2019 मंहत रघुनाथदास बनाम चेतन ज्याणी व अन्य में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1–अपीलार्थीगण उपस्थित।
2–प्रत्यर्थीगण उपस्थित।

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थी की ओर से उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 बाबत प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण चेतन ज्याणी व लक्ष्मी से नृसिंहदड़ा मंदिर परिसर से खाली राने व प्रार्थीपक्ष को कब्जा दिलाने का प्रस्तुत हुआ। अधीनस्थ उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार करते हुए प्रार्थी के साथ मारपीट, गालीगलौच न करने एवं सद्व्यहार बनाए रखने का आदेश पारित किया गया, उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपनी पुत्री लीला को अधिकार पत्र देते हुए उनके माध्यम यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज (GCMS No.-2024/560) कर प्रत्यर्थीपक्ष/अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये व अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण के

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

दिनांक 03.12.2024 को उपस्थित हुए तथा अधीनस्थ अधिकरण से मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। नियत सुनवाई दिनांक 21.01.2025 को उपस्थित प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से उनकी पुत्री लीला पत्नी गणपतराम व अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण का पक्ष सुना गया तथा अप्रार्थीगण द्वारा अंतिम लिखित बहस दिनांक 05.02.2025 को प्रस्तुत की। इस प्रकार उभयपक्षकरान को सुना गया।

अपीलार्थी की ओर से उनकी पुत्री लीला पत्नी गणपतराम ने बहस में बतलाया कि प्रार्थी/अपीलार्थी की आयु वर्तमान में 94 वर्ष की है तथा वह चलने फिरने में असक्षम है ऐसी स्थिति में वह स्वयं अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते जिस कारण अपनी पुत्री लीला पत्नी गणपतराम के माध्यम से अपील अधिकरण के समक्ष पेश की। सम्पति नृसिंहधडा मठ की है तथा देवस्थान, जोधपुर में पंजीकृत है तथा इस सम्पति में जिन–जिन लोगों के द्वारा किराये के परिसर लिये गये है उनका कितना किराया है इस संबंध में किसी प्रकार की जांच तहसीलदार के द्वारा नहीं की गई है। नृसिंहधडा मंदिर में जो किरायेदार निवास करते हैं जो 50 साल से अधिक समय से किरायेदार की हैसियत से किरायेदार है जिनका किरायानामा मात्र का है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अधिकरण के आदेश पर तहसीलदार द्वारा वक्त जांच यह कर्तव्य था कि वह प्रत्येक किरायेदार की सूची बनाकर किस किरायेदार द्वारा कितना किराया दिया जाता है इसकी रिपोर्ट अधिकरण के को पेश करे। तहसीलदार द्वारा एक भी किरायेदार के बयान नहीं लिये गये व इसके साथ ही अपीलार्थी के बयान रिकार्ड नहीं किये गये। अपीलार्थी वृद्ध बीमार 93 वर्ष का मंहत है चलने फिरने में असक्षम है लम्बे समय से बिस्तर पर है। वह स्वयं न तो अपनी सुरक्षा कर सकता है तथा न ही रेस्पोडेण्ट के पूर्व के आचरण के कारण मंदिर में किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं आता है तथा दर्शनार्थी मंदिर में नहीं आ रहे हैं। पूर्व में अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा यह आदेश दिया गया कि रेस्पोडेण्ट अपीलाण्ट को प्रतिमाह 8000/– रूपये रोकड अदा करे अथवा अपीलार्थी के खाते में जमा करवाये परन्तु रेस्पोडेण्ट द्वारा एक माह की अवधि के लिए ही 1000/– रूपये अपीलार्थी को दिये तत्पश्चात् जब तक प्रकरण चलता रहा तब तक रेस्पोडेण्ट के द्वारा भरण पोषण की राशि अपीलार्थी को नहीं दी गई। अप्रार्थीगण के द्वारा पूर्व में अपीलाण्ट के साथ मारपीट की गई जिस संबंध में अपीलार्थी के द्वारा पुलिस थाना उदयमंदिर में प्रथम सूचना पंजीकृत करवाई गई तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अपने बहनोई व अन्य नजदीकी रिश्तेदारों व आडौस पडौस व सम्मानित व्यक्तियों के खिलाफ लडाई झगड़ा करके झूठे मुकदमें दर्ज करवाये जो जांच के पश्चात अधिकतम मुकदमें प्रथम दृष्टया अनुसंधान अधिकारी के द्वारा खारिज किये गये। अप्राथी संख्या 1 एक झगडालू किस्म का व्यक्ति है आदतन हर किसी से लडाई झगडा करने का आचरण रहा है। इसके साथ ही उसके द्वारा अपीलार्थी के साथ 2 वर्ष गला दबा कर उससे 10 हजार रूपये छीनने का कृत्य किया जिस पर दोनों रेस्पोडेण्ट के खिलाफ प्रथम सूचना पुलिस थाना सदर बाजार, जोधपुर में पंजीकृत करवाई जो प्रकरण वर्तमान में न्यायालय

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट • जोधपुर

में विचारणीय है। अप्रार्थीगण कभी भी अपीलाण्ट की सम्पति का हडप करने के उद्देश्य से उसे जान से मार सकता है तथा अपीलाण्ट अपनी सुरक्षा वृद्धावस्था के कारण करने में असक्षम है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण का परिसर में रहना अपीलार्थी के जीवन के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। रेस्पोडेण्ट के द्वारा जिस परिसर का उपयोग उपभोग किया उसकी मरम्मत व देखभाल नही की गई इसके विपरीत अपने परिसर से अधिक अपीलार्थी की अचल सम्पति जिसमें अन्य कमरें व ठांव बने हुए थे उनके ताले तोडकर उस पर कब्जा करने का कृत्य किया तथा इसके साथ ही कभी भी बिजली, पानी का शुल्क अदा नहीं किया गया। बहस के अंत में अपीलार्थी पक्ष की ओर पुत्री लीला द्वारा अप्रार्थीगण को परिसर से बेदखल करने के आदेश किये जाने की इस्तदुआ की।

अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा बहस में बतलाया कि अधिकार पत्र के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मौजूदा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है। पूर्व अपील संख्या 4/23 स्वयं रघुनाथदास द्वारा प्रस्तुत नही की गई थी बल्कि अधिवक्ता के मार्फत प्रस्तुत की गई थी जो प्रचलित विधि के विपरीत होने से दिनांक 27.02.2024 को खारिज की गई थी। वर्तमान अपील रेस्टोर करने का प्रावधान न होने के बावजूद गैर कानूनी तरीके से प्रचलित विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत लीला पत्नि श्री गणपतराम के द्वारा माननीय को गुमराह करने की नीयत से प्रस्तुत की गई है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। लीला देवी एवं गणपत द्वारा रघुनाथ दास के परिवार में जानबुझकर झगडे पैदा करके रघुनाथ दास की पत्नी एवं उसके पुत्र पुत्रवधु पाते पोतियों के बीच में दरार पैदा कर चल अचल सम्पति पर कब्जा जमाने की नीयत से झुठे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते रहते है जबकि रघुनाथदास स्वयं इस ट्रस्ट का मालिक नही है ऐसी स्थिति में ट्रस्ट की सम्पति से किसी को भी बेदखल करने की याचिका प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है। बहस के अंत में अपीलार्थी की अपील खारिज करने की इस्तदुआ की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अपीलार्थी पक्ष द्वारा अपील में मुख्य रूप से अप्रार्थीगण को मंदिर परिसर से बेदखल करने का निवेदन किया गया। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 वरिष्ठ नागरिकों एवं माता–पिता के संरक्षण हेतु कवच/बचाव के लिए है न कि हथियार के रूप में उपयोग में लाने हेतु बनाया गया है तथा अधिनियम की धारा 23 के अनुसार जायदाद से बेदखल कर कब्जा सुपुर्द कराने का प्रावधान नही है। उक्त अधिनियम का मुख्य मंतव्य वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है न कि जमीन–जायदाद के विवादों का निस्तारण करना, ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण व प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण के मध्य सम्पति का विवाद का निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाना उचित है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाकर अधीनस्थ अधिकरण का आदेश यथावत रखा जाता है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश प्रति के साथ मूल अभिलेख संबंधित अधीनस्थ अधिकरण को सूचनार्थ एवं पालनार्थ पुनः लौटाया जावे। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

आदेश आज दिनांक 11.02.2025 को सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)